which he was working as Assistant Director (Cost). The same principle is to be adopted to the extent possible at the time of promotion of Deputy Director (Cost) to the grade of Joint Director (Cost). There is no provision for transfer out of organisation on promotion to the grade of Adviser (Cost) since there are only three posts in this grade.

(c) There is only one officer, who has stayed for more than 10 years in the same organisation but held different positions. However, most of the period of his stay was prior to formulation of rotational transfer policy of 1989. He was not transferred thereafter as he is due to retire in September, 1992.

FICCI's Proposal on Import of Gold and Silver

2740. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the FICCI has recently suggested that the Government should allow import of gold and silver freely at a nominal customs duty of 5 per cent to make domestic prices of gold and silver to be at par with international rates and thereby curbing the smuggling activities; and

(b) if so, what are the details thereof and what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) With reference to the restrictions on import and export of certain currencies and bullion, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in its memorandum entitled "Amendments to FERA", has suggested that restrictions be retained unless accompanied by surrender of EXIM scrips. Government does not find it feasible to permit import of gold and silver against EXIM scrips in the present state of the economy, the Balance of Trade and the foreign exchange constraints.

मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वालों को दोष सिद्ध किया जाना

2741. **श्री रणजीत सिंह:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1991 के "द इकानामिक टाइम्स" में "ओनली 7% ड्रग ऑफिन्डर्स कनविक्टिड स्टडी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नशीले द्रव्यों का घृणित अवैध व्यापार करने वालों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान करने के लिए नये कानून बनाने के लिए राज्य सरकारों से कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) जी हां। संदर्भित रिपोर्ट परामर्शदात्री फर्म द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में है। अध्ययन में नए अधिनियमन के लिए कड़े उपाय प्रारम्भ करने की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन इसके साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि रिहाइयों की अधिकता, स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 यथा संशोधित 1989 में, पहले से ही कड़े उपायों के कारण है। सरकार ने जांच के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रवर्त्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के उपाय शुरू किए हैं।

धनकर अदा करने के लिए कर-निर्धारिती मंत्री

2742. **श्री राघवजी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के वर्तमान मंत्रिमंडल में कौन-कौन ऐसे मंत्री हैं जो धन-कर निर्धारिती हैं; और

(ख) नवीनतम कर-निर्धारण आदेशों के अनुसार उनमें से प्रत्येक का कुल कर-योग्य धन कितना-कितना